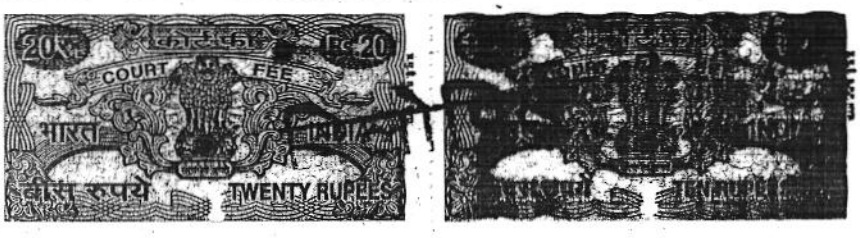

न्यायालयः– मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2018 निगरानी – 4084/2018/मुरैना/भू.रा.

श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री नागेन्द्र बहादुर तिवारी निवासी ग्राम जौरा खुर्द परगना व जिला मुरैना म.प्र.

—— **आवेदिका**

विरूद्ध

1. वंश गोपाल पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी सागोरियन का पुरा मौजा हिगोना खुर्द परगना व जिला मुरैना म.प्र.

——**असल अनावेदक**

2. जण्डेंल सिंह पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी सागोरियन का पुरा मौजा हिगोना खुर्द परगना व जिला मुरैना म.प्र.

—— **तरतीवी अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क. 32/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 08–05–2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम मौजा हिगोना खुर्द स्थित खाता क्र. 272 के सर्वे क्र. 2563 रकवा 1 वीघा 18 विस्वा के 1/2 भाग, ... रकवा 2 वीघा 12 विस्वा के 1/2 भाग, खाता

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4084/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 32/2010-11/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा हिगौनाखुर्द स्थित खाता क्र. 272 के सर्वे नं. 2563 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा के 1/2 भाग खाता क्र. 299 के सर्वे नंबर 3005/1 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा के भाग 1/2, खाता क्रमांक 714 के सर्वे नं. 2979 रकवा 6 बीघा 7 विस्वा, 2987 रकवा 4 बीघा 2 विस्वा, 2988 रकवा 10 विस्वा के 1/3 व खाता क्रमांक 304 के सर्वे नं. 2572 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा, 2675 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा के 2/6 कृषि भूमियों के उक्त खातों पर बंटवारा किये जाने हेतु आवेदिका ने तहसीलदार मुरैना के समक्ष धारा 178 का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जो उनके आदेश दिनांक 31.07.2009 द्वारा बंटवारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 20.08.2010 द्वारा निरस्त की गई। उक्त आलोच्य आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 08.05.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका द्वारा संहिता की धारा - 178 के अधीन विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया है तथा विधिवत हल्का पटवारी से मौके पर जाकर फर्द बनाई गई, विधिवत फर्दों का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी सहखातेदार की कोई आपत्ति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। फिर भी मात्र अनावेदक क्र. 2 जण्डेल सिंह पुत्र मोहन लाल शर्मा बंटवारा दिनांक 31.07.2009 को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी नहीं है। इस कारण उसे प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाना चाहिए था। उसे पक्षकार बनाकर कानूनी भूल की गई है और ना जण्डेल सिंह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है। उसे साक्ष्य व सुनवाई का, पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए बंटवारा आदेश सहमति के आधार पर पारित किया गया है। ऐसे बंटवारा आदेश को निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की है। इस कारण द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर अपास्त किए जाने योग्य है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एवं बंटवारा मापदण्डों का पालन किए बिना आदेश पारित किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त् आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 178 का है। जो आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा समुचित रूप से विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाने, बंटवारा मापदण्डों का पालन किए बिना आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटि की है। उक्त आधार पर अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश उचित, वैधानिक एवं न्यायसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4084/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2018 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	